प्रेस नोट दिनांक- 03.12.2024 जनपद प्रतापगढ़

-कोर्ट के आदेश से जब्त शराबों का कराया गया विनिष्टीकरण

-आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मुकदमों से संबंधित जब्त शराबों को किया गया नष्ट
-थाना अन्तू/ पट्टी/फतनपुर से कुल 23467 लीटर अवैध शराब को कराया गया नष्ट

-अभी तक थाना पट्टी 11336 लीटर, थाना अन्तू 10685 लीटर व थाना फतनपुर से 1446 लीटर, (कुल 23467 लीटर) अवैध शराब को नष्ट कराया गया।
-जनपद प्रतापगढ़ के थानों पर माल मुकदमाती जब्त अवैध शराब को नष्ट कराने हेतु प्रभारी नारकोटिक्स सेल उ0नि0 उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा की गई प्रभावी पैरवी
-एसपी डॉ0 अनिल कुमार द्वारा प्रभारी नारकोटिक्स सेल उ0नि0 उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार से किया जायेगा पुरस्कृत
-जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर दफन किए गए शराब
-पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य / सुविधाओं तथा जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की सुविधा के मद्देनजर जनपद के सभी थाना परिसर को बनाया जा रहा स्वच्छ व साफ सुथरा
-एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में शराब नष्ट करने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रतापगढ़ ।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण के कुशल मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मा0न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न मुकदमों में जब्त शराब/मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रभारी नारकोटिक्स सेल उ0नि0 उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा जब्त शराबों के विनिष्टीकरण हेतु आदेश जारी किया गया ।

मा0न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रतापगढ़ पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारी के साथ गठित टीम व सम्भ्रान्त व्यक्तियों/पत्रकार बन्धुओं की उपस्थिति में अब तक कुल 23467 लीटर जब्त अवैध शराब को नष्ट कराया जा गया है ।

थाना परिसर में रखे माल मुकदमाती शराबों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही से थानों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों व आने वाले फरियादियों के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली पर अनूकल प्रभाव पडेगा व उन्हें सुविधा होगी। थाना परिसर की साफ-सफाई/स्वच्छता के मद्देनजर यह अभियान आगे भी इसी प्रकार से चलाया जायेगा ।

अब तक की कार्यवाही का विवरण-
-दिनांक 25.11.2024 को थाना पट्टी पर माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ के आदेशानुसार गठित टीम अभियोजन अधिकारी प्रतापगढ़, नायब तहसीलदार पट्टी, आबकारी निरीक्षक व प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार

तथा स्थानीय पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी में कुल 11336 लीटर अवैध जब्त शराब को नियमानुसार सफलतापूर्वक नष्ट कराया गया।

-दिनांक 30.11.2024 को थाना अन्तू पर माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ के आदेशानुसार गठित टीम अभियोजन अधिकारी प्रतापगढ़, एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, आबकारी निरीक्षक सम्बन्धित क्षेत्र व प्रभारी निरीक्षक थाना अन्तू आनन्द पाल सिंह तथा स्थानीय पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी में कुल 10685 लीटर जब्त अवैध शराब को नियमानुसार सफलतापूर्वक नष्ट कराया गया।

-दिनांक 30.11.2024 को थाना फतनपुर पर माननीय न्यायालय प्रतापगढ़ के आदेशानुसार गठित टीम अभियोजन अधिकारी प्रातपगढ़, एसडीएम रानीगंज, क्षेत्राधिकारी रानीगंज, आबकारी निरीक्षक सम्बन्धित क्षेत्र व प्रभारी निरीक्षक थाना फतनपुर राकेश कुमार राय तथा स्थानीय पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी में कुल 1446 लीटर जब्त अवैध शराब को नियमानुसार सफलतापूर्वक नष्ट कराया गया।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0कां0 अशरफ अली, कां0 विकास बाबू देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मा0 न्यायालय विशेष न्यायलय प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारंटी प्राप्तशुदा मु0अ0सं0 65/94 धारा 457, 380 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त हरीलाल पुत्र कलेश्वर पासी निवासी ग्राम तिवारीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01. हरीलाल पुत्र कलेश्वर पासी निवासी ग्राम तिवारीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0कां0 अशरफ अली, कां0 विकास बाबू थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह कां0 योगेश यादव देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मा0 न्यायालय विशेष न्यायलय प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारंटी प्राप्तशुदा एसटी नं0 79/15 मु0अ0सं0 728/14 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त दीपक त्रिपाठी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम शिवपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को अयोध्या प्रसाद की दुकान कोहरौटी के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
01. दीपक त्रिपाठी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम शिवपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह कां0 योगेश यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

–थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा 01 अवैध तमन्चा 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

–थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया बरौली के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

–अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोहड़ौर उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त 01- राज बहादुर उर्फ राजू पुत्र कृष्ण नारायण हरिजन निवासी बाम्बे टेलर गली कस्बा कोहड़ौर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोहड़ौर क्षेत्रांन्तर्गत नहर पुलिया बरौली के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कोहड़ौर में मु0अ0सं0 193/2024 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- राज बहादुर उर्फ राजू पुत्र कृष्ण नारायण हरिजन निवासी बाम्बे टेलर गली कस्बा कोहड़ौर थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल कुमार थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता-

-बीट आरक्षियों के सर्तकता से 02 गैगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
-थाना मान्धाता के आरक्षी हरिपाल व आरक्षी अंकित चौधरी ने गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिंकजा
-आरक्षी हरिपाल व आरक्षी अंकित चौधरी ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर
-एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मान्धाता के आरक्षी हरिपाल व आरक्षी अंकित चौधरी को दिया जायेगा प्रशस्ति- पत्र
-थाना मान्धाता के अतंर्गत अभियुक्तों को उनके घर के पास से किया गया गिरफ्तार
-गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तगण मारपीट, हत्या का प्रयास गैंगस्टर एक्ट जैसे गम्भीर उपराध में संलिप्त हैं

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना मान्धाता के बहादुर आरक्षी हरिपाल व आरक्षी अंकित चौधरी के सहयोग से आज दिनांक 03.12.2024 को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 180/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 02 वांछित अभियुक्तगण 1. बादल पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी रामपुर परउवा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -27 वर्ष 2. कौशलेन्द्र सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम मिश्रपुर थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-बादल पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी रामपुर परउवा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र -27 वर्ष
2- कौशलेन्द्र सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम मिश्रपुर थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष

बादल पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय निवासी रामपुर परउवा थाना मान्धाता जपनद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0स0 65/18 धारा- 286, 323, 354, 452, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0स0 103/24 धारा- 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 427 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 180/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ।

कौशेलन्द्र सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह निवासी मिश्रपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0स0- 103/24 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 427, 120बी भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0स0 -129/22 धारा- 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0स0- 149/23 धारा-323, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जपनद प्रतापगढ़

4. मु0अ0स0-174/23 धारा- 147, 148, 149, 308, 323, 341, 427, 504, 506 भादवि थाना मान्धाता जपनद प्रतापगढ़

5. मु0अ0सं0 180/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ।

थाना अन्तू-

- बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार
- थाना कोतवाली नगर के आरक्षी सूरज नाथ मौर्या ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
- आरक्षी सूरज नाथ मौर्या ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

-एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली नगर के आरक्षी सूरज नाथ मौर्या व स्वाट/सर्विलासं टीम को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

- थानाक्षेत्र अन्तू के ककरहा मोड़ के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

-गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या, गैगस्टर एक्ट, आर्म्स जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त है-

- अनुज कुमार ओझा उपरोक्त थाना कोतवाली नगर के मु0अ0सं0 709/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 25000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त था-

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर के बहादुर आरक्षी सूरज नाथ मौर्या के सहयोग से आज दिनांक 03.12.2024 को थाना अंतू पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम/ स्वाट टीम के सहयोग से मु0अ0सं0 709/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त अनुज कुमार ओझा उर्फ आशीष ओझा पुत्र अरुण ओझा निवासी निवासी रुपानगर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के ककरहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अनुज कुमार ओझा उर्फ आशीष ओझा पुत्र अरुण ओझा निवासी निवासी रुपानगर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़

अनुज कुमार ओझा उर्फ आशीष ओझा पुत्र अरुण ओझा निवासी निवासी रुपानगर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 997/2022 धारा 302, 34, 323, भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ।

02. मु0अ0सं0 636/2021 धारा 323,504,506,427 भादवि व 3(1)द, 3(2), 3(2) 5ए एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।

थाना बाघराय-

- उ0नि0 अमित द्विवेदी थाना बाघराय द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बिहार कुण्डा रोड पर ग्राम लच्छीपुर से गिरफ्तार किया गया

दिनांक 02.12.2024 को थाना बाघराय के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह हे0का0 सुभाषचन्द्र यादव व का0 रविन्द्र यादव व का० रणजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मा० न्यायालय श्रीमान एसीजेएम-5 प्रयागराज के परिवाद सं0-46/2021 धारा 138 एन0आई0 एक्ट से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त शंकर लाल पाल पुत्र जवाहरलाल पाल उम्र 48 वर्ष नि0 जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ को बिहार कुण्डा रोड पर ग्राम लच्छीपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
शंकर लाल पाल पुत्र जवाहरलाल पाल उम्र 48 वर्ष नि0 जमलामऊ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह हे0का0 सुभाषचन्द्र यादव व का0 रविन्द्र यादव व का० रणजीत कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़